राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 298/2014

श्रीकांत पारीक **–अपीलार्थी**

बनाम

1. आयुक्त, पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

2. जिला परिषद्, जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.03.2014

आदेश की दिनांक : 14.05.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खाण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर वरिष्ठता सूची को अपास्त करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 29.05.1992 से वरिष्ठता निर्धारण करते हुये वरिष्ठता सूची जारी की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति इलेक्ट्रिशयन के पद पर दिनांक 12.05.1992 को वेतन श्रृंखला 1025–1800 तिलम संघ में हुई थी जो राजस्थान राज्य कॉआपेरेटिव ऑईल शीड्स ग्रोईंग फेडेरशन लिमिटेड की ईकाई है और आदेश दिनांक 25.06.1993 के द्वारा कंफर्म किया गया। अपीलार्थी को अधिशेष घोषित करते हुये ग्राम सेवक के पद पर वेतन

श्रृंखला 3400–5200 में दिनांक 20.09.2003 से समायोजित किया गया। उनका कथन है कि राजस्थान अधिशेष एवं समायोजित नियम, 1969 यदि जो कार्मिक कंफर्म घोषित कर अधिशेष/समायोजित अन्य दूसरे विभाग में किये गये हैं। उनकी वरिष्ठता एवं वेतन प्रोटेक्ट किया जायेगा। विभाग द्वारा ग्राम सेवक की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया। चूंकि वरिष्ठता सूची दिनांक 29.05.1992 से मानते हुये जारी की गई। जबकि अपीलार्थी की नये विभाग में कार्यग्रहण तिथी 20.09.2003 है। जबकि उक्त नियमों के प्रावधानानुसार ही अपीलार्थी के नाम पर वरिष्ठता के संबंध में विचार नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भंवरलाल मालाकर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश को माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा भी सही माना गया है, जिसमें अधिशेष कार्मिकों की वरिष्ठता उनकी नियमित नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुये मानी जाना बताया गया है। परंतु विभाग द्वारा उक्त आदेश को भी अनदेखा करते हुये वरिष्ठता सूची जारी की गई है, जो नियमों एवं विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर वरिष्ठता सूची को अपास्त करते हुये प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 29.05.1992 से वरिष्ठता निर्धारण करते हुये वरिष्ठता सूची जारी की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हुये ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। तद्नुसार अपीलार्थी पंचायती राज विभाग के नियंत्रण में कार्यरत है। विधि अनुसार अपीलार्थी की वरिष्ठता समायोजन पर कार्यभार ग्रहण तिथी से ही प्रभावी और देय है। तद्नुसार जारी वरिष्ठता सूची पूर्णतया विधि सम्मत है और इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति इलेक्ट्रिशयन के पद पर दिनांक 12.05.1992 को वेतन श्रृंखला 1025–1800 तिलम संघ में हुई थी जो राजस्थान राज्य कॉआपेरेटिव ऑईल

शीड्स ग्रोईंग फेडेरशन लिमिटेड की ईकाई है और आदेश दिनांक 25.06.1993 के द्वारा दिनांक 29.05.1993 से कंफर्म किया गया। अपीलार्थी को अधिशेष घोषित करते हुये ग्राम सेवक के पद पर वेतन श्रृंखला 3400–5200 में दिनांक 20.09.2003 से समायोजित किया गया। राजस्थान अधिशेष एवं समायोजित नियम, 1969 यदि जो कार्मिक कंफर्म घोषित कर अधिशेष/समायोजित अन्य दूसरे विभाग में किये गये हैं। उनकी वरिष्ठता एवं वेतन प्रोटेक्ट किया जायेगा। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ग्राम सेवक की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया। चूंकि वरिष्ठता सूची दिनांक 29.05.1992 से मानते हुये जारी की गई। जबकि अपीलार्थी की नये विभाग में कार्यग्रहण तिथी 20.09.2003 है। जहां तक अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में शामिल/अंकित नहीं किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी तिलम संघ में इलेक्ट्रिशयन के पद पर दिनांक 12.05.1992 को वेतन श्रृंखला 1025–1800 हुई थी और आदेश दिनांक 25.06.1993 के द्वारा दिनांक 29.05.1993 से कंफर्म किया गया। आदेश दिनांक 24.03.2011 के द्वारा दिनांक 20.09.2003 से पंचायती राज विभाग में समायोजित किया गया। जबकि अपीलार्थी को विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में दिनांक 29.05.1992 से वरिष्ठता में इस कारण से नहीं माना गया चूंकि अपीलार्थी की नियुक्ति नये विभाग में दिनांक 20.09.2003 को हुई है। जबकि अपीलार्थी उसकी नियमितिकरण की दिनांक 29.05.1993 से वरिष्ठता प्राप्त करने का अधिकारी है और इस प्रकार अपीलार्थी को पूर्व के विभाग द्वारा समायोजन के पूर्व दिनांक 29.05.1993 से नियमित घोषित कर दिया गया था, जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किये जाने के उपरांत अपीलार्थी ने ग्राम सेवक के पद पर पंचायती राज विभाग में कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किये जाने में अपीलार्थी की कोई त्रुटि नहीं थी। अतः अपीलार्थी ने जो पूर्व में सेवा में नियमित होने के पश्चात तिलम संघ में जो सेवाएं दी है, उनको नए विभाग में वरिष्ठता के लिए नहीं देखा जाना उचित नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत WLC1991(1) Raj. 118 भंवरलाल मालाकार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में Rajasthan Civil Services (Absorption of Surplus Personnel) Rules, 1969- Rules 15(1)&(2)&7 को दृष्टिगत रखते हुए निम्न प्रकार निर्णय पारित किया हैः–

> *"Thus, a bare reading of Rule 15(1) shows that the seniority of a surplus employee appointed substantively to a permanent post shall be determined as laid down therein and if a surplus employee is appointed to a new post in a temporary or ad-hoc capacity, sub-*

rule (2) shall be applicable to him. As is evident from Rule 7, since the petitioner was holding appointment from 1974 in substantive capacity, he was entitled to be appointed substantively on a permanent post, if the post is clearly vacant. However, the petitioner was appointed on temporary basis, even though, in violation of Rule 7 of the Rules, 1969. It may also be pointed out that in Anx.8 issued by the General Administration Department, the petitioner was directed to be abosrbed on the post of Excise Inspector, but it is not mentioned that he shall be absorbed on temporary basis. Anx. 9 is only a formal order issued by the Commissioner, Excise Department, in obedience to Anx.8 issued by the General Administration Department. It is mentioned in Anx.8 itself that only formal orders shall be issued by the Department, where the surplus employee has been sent on a particular post. Therefore, there was no occasion/reason to have absorbed the petitioner on temporary basis on the post of Excise Inspector Grade II. It was pointed out by the learned counsel for the petitioner that there was no choice for the petitioner, but to accept the appointment and the only alternative available with him was to quit the job, which he could not afford. It was also pointed out by the learned counsel that the petitioner has mentioned in para 13 of the petition, protesting that he should not be compelled to appear in Departmental Examination vide two letters dated August 18,1982 and November 14,1982, but with no result. Therefore, he had no choice but to appear in the Departmental Examination and to pass out the same, which he did. So far as the objection regarding application of doctrine 'Waiver & Estoppel' is concerned, we are of the opinion that the same is not aplicable to the facts and circumstances of the Present case. The petitioner has been representing and protesting since the begin ning, when proper seniority was not assigned to him. The learned counsel for the respondents pointed out that under Rule 18 of the Rules, 1969, the petitioner had option within 30 days of the receipt of absorption order for permanent absorption, otherwise his services shall be treated by the Government in accordance with the provisions of Rajasthan Service Rules, 1951. In our opinion, Rule 18 is not applicable to the facts & circumstances of the present case, since the petitioner was quite willing to work on the post of Excise Inspector Grade II and, therefore, the question of his exercising the option by the petitioner to quit the job did not arise. What is agitated is only the improper placement of the petitioner in the seniority list issued by the Excise Department. We also do not find any force in the contention of the learned counsel for the respondents that he could not have been appointed on permanent basis, unless he went through the process as laid down in the

Rajasthan Excise Rules, 1956 for the simple reason that the petitioner had already gone through the process of selection and appeared before the duly constituted Committee for his appointment and, thereafter, he was appointed as Inspector Grade II. Therefore, it was not necessary for the petitioner to undergo the process afresh as laid down under the Rajasthan Excise Rules, 1956.

7. We are, therefore, of the considered opinion that this writ petition should be allowed. It is, therefore, directed that the order of the Tribunal dated December 29, 1989 (Anx.17) passed in Appeal No.46/88 is quashed & set aside. It is further directed that the seniority lists dated November 28, 1997 (Anx.14) and September 8, 1989 (Anx.15), so far as they relate to the petitioner, are also quashed & set aside and respondent No.2 The Excise Commissioner, Rajasthan, Udaipur, is directed to determine the seniority of the petitioner under Rule 15(1) of the Rules, 1969 and he be given benefits of the substantive service w.e.f. March 1, 1974 & be placed above the Inspectors Grade II, who were appointed after March 1, 1974.

8. The writ petition is allowed. No order as to costs."

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अधिशेष कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके द्वारा पूर्व में नियमित पद पर कार्य किये जाने की दिनांक से गिनी जानी चाहिए। अतः हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सेवक के पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से सेवा की गणना की जाकर वरिष्ठता प्रदान किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को तिलम संघ में नियमितिकरण की दिनांक 29.05.1993 से सेवा की गणना की जाकर अपीलार्थी को ग्राम सेवक के पद पर उचित वरिष्ठता प्रदान की जाए। अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जाए।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य